झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा, 2021 के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 22/2021

एतद् द्वारा विज्ञप्ति संख्या–18/2021 के क्रम में वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा, 2021 से संबंधित छात्र/छात्राओं, उनके अभिभावकों, विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार से प्राप्त दिशा–निदेश के आलोक में वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा, 2021 के छात्र/छात्राओं के परीक्षाफल का प्रकाशन किया जाना है। परीक्षाफल, सैद्वान्तिक, प्रायोगिक एवं आन्तरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। सैद्धान्तिक परीक्षा से संबंधित अंको का आवंटन परिषद् स्तर से तथा प्रायोगिक एवं आन्तरिक मूल्यांकन के लिए अंकों का आवंटन विद्यालय/महाविद्यालय स्तर से किया जाएगा। प्रायोगिक एवं आन्तरिक मूल्यांकन के अंकों का संधारण विद्यालय/महाविद्यालय परिषद् के वेबसाईट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन करेंगे। इस हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश परिषद् के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

पूर्व में आयोजित प्रायोगिक परीक्षा एवं आन्तरिक मूल्यांकन के अंकों का संधारण हेतु निर्धारित कार्यक्रम

* माध्यमिक परीक्षा के लिए – दिनांक 03.07.2021 से 13.07.2021 तक।
* इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए – दिनांक 03.07.2021 से 13.07.2021 तक।

सभी विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार वेबसाईट पर दिए गए दिशा–निर्देश के आलोक में संबंधित छात्र–छात्राओं के प्रायोगिक एवं आन्तरिक मूल्यांकन का विषयवार अंकों का ऑनलाइन संधारण करना सुनिश्चित किया जाय। संधारित किये गये Consolidated list की एक प्रति विद्यालय प्रधान अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। ऑनलाइन प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान जिम्मेवार होंगे।

नोटः- पूर्व में परिषद् द्वारा आयोजित प्रायोगिक एवं आन्तरिक परीक्षा में अनुपस्थित या वंचित रह गए छात्र/छात्रा के लिए प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन हेतु तिथि राज्य सरकार से अनुमति मिलने के पश्चात् प्रकाशित की जायेगी। तत्पश्चात् अंकों के ऑनलाइन संधारण के लिए जानकारी विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
(महीप कुमार सिंह)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

पत्रांक: JAC/गो./1958/21/Secy/368/21
Dt. 02.07.2021
D.O.P : 03.07.2021